प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 794/2022

1 – दीपक कुमार पिता जगदीश साहू, 36 वर्ष, निवासी गाँव–सोरिद, पुलिस थाना–धमतरी, जिलाःधमतरी, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना बोराई, के द्वारा,जिला :धमतरी, छत्तीसगढ़

–––उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)

अपीलार्थी हेतु :– सुश्री अदिति सिंघवी, अधिवक्ता

राज्य हेतु : – श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता

एकल पीठः माननीय श्री संजय के. अग्रवाल ,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

(27.03.2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. दं. प्र. सं. की धारा 449 के तहत प्रस्तुत इस दाण्डिक अपील में, अपीलकर्ता दिनांक 19.04.2022 (अनुलग्नक ए/1) के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा सत्र न्यायाधीश, धमतरी, छत्तीसगढ़ ने सुनवाई

के लिए निर्धारित तिथि पर अभियुक्त शैलेश विजय राठौर को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दर्शाए गए कारण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और अपीलकर्ता के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि शैलेश विजय राठौर पुत्र विजय राठौर को अपराध क्रमांक 29/2018, पुलिस थाना – बोराई, जिला – धमतरी के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और भा.दं. सं., 1860 की धारा 420 के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए विशेष दाण्डिक प्रकरण (एनडीपीएस) संख्या 89/18 (राज्य बनाम राकेश सुरकर और अन्य) विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है।जब अभियुक्त – शैलेश विजय राठौर को इस न्यायालय के दिनांक 04.04.2019 के एमसीआरसी संख्या 1902/2019 में पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था, तो अपीलकर्ता 1,00,000/– रुपये की राशि के लिए जमानतदार के रूप में खड़ा था। यद्यपि, अभियुक्त– शैलेश विजय राठौर ने जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत बांड की शर्तों का पालन नहीं किया और प्रकरण सूचीबद्ध होने पर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होने में विफल रहा।परिणामस्वरूप, अभियुक्त का जमानत बांड 27.02.2020 को जब्त कर लिया गया और उसी दिन, अपीलकर्ता के विरुद्ध दं. प्र. सं. की धारा 446 के तहत अलग से कार्यवाही शुरू की गई और अपीलकर्ता को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उससे 1,00,000/– रुपये की जमानत बांड की राशि वसूल की जाए और सुनवाई की अगले दिनांक 03.04.2020 निर्धारित की गई।तत्पश्चात कोविड प्रोटोकॉल के कारण मामले को दिनांक 07.09.2021 तक स्थगित कर दिया गया, तत्पश्चात दिनांक 07.09.2021 को पुनः अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 09.11.2021 निर्धारित की गई। परंतु नोटिस तामील होने के बाद भी अपीलकर्ता दिनांक 09.11.2021 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, फलस्वरूप अपीलकर्ता के विरुद्ध उसकी चल सम्पत्तियों की कुर्की हेतु कुर्की वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया था।इसके बाद, 05.04.2022 को, अपीलकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उसने फरार अभियुक्त – शैलेंद्र विजय राठौर का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सका और वह एक निर्धन व्यक्ति है और 1,00,000/– रुपये की राशि का भुगतान करने में असमर्थ है और इसलिए, उसके विरुद्ध जारी कुर्की वारंट वापस लिया जाए और उसे जमानत बांड से मुक्त किया जाए। यद्यपि, विद्वान विचारण न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और 19.04.2022 के आक्षेपित आदेश के तहत कुर्की वारंट की रिपोर्ट मांगने के लिए आगे बढ़ा, जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अदिति सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न जुर्माना अदा किया जाए, लेकिन जुर्माना का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और सीधे तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 446(2) के तहत वसूली का आदेश पारित कर दिया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है और यह अपास्त किये जाने योग्य है।

4. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि चूंकि अपीलकर्ता जमानत बांड के अनुसार अभियुक्त शैलेन्द्र विजय राठौर को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सका, इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता से उक्त राशि की वसूली हेतु उचित निर्देश दिया है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वियों के तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. इस स्तर पर, दं. प्र. सं.की धारा 446 के सुसंगत प्रावधानों पर ध्यान देना लाभदायक होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:---

"446. बांड जब्त होने पर प्रक्रिया:-

1) जहां इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए है और उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय के, जिसे मामला तत्पश्चात् अन्तरित किया गया है, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र समपहृत हो गया है, या जहां इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंधपत्र के संबंध में उस न्यायालय के, जिसने बंधपत्र लिया था या किसी ऐसे न्यायालय के, जिसे मामला तत्पश्चात् अन्तरित किया गया है या किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र समपहृत हो गया है, वहां न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करेगा और ऐसे बंधपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से उसका दंड देने के लिए कह सकेगा या कारण दर्शित कर सकेगा कि उसे क्यों न दिया जाए।

स्पष्टीकरण:-न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या सम्पत्ति प्रस्तुत करने के लिए बंधपत्र में दी गई शर्त का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें किसी न्यायालय के समक्ष, जिसे प्रकरण बाद में अन्तरित किया जा सकता है, उपस्थित होने या, जैसी भी स्थिति हो, सम्पत्ति प्रस्तुत करने की शर्त सम्मिलित है।(2) यदि पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है और जुर्माना अदा नहीं किया गया है, तो न्यायालय उसे वसूलने के लिए इस प्रकार कार्यवाही कर सकता है मानो ऐसा जुर्माना उसके द्वारा इस संहिता के अधीन लगाया गया जुर्माना हो: परन्तु जहां ऐसा जुर्माना अदा नहीं किया गया है और पूर्वोक्त तरीके से वसूल नहीं किया जा सकता है, वहां जमानतदार के रूप में इस प्रकार आबद्ध व्यक्ति, जुर्माने की वसूली का आदेश देने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा, सिविल कारागार में कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।"

7. उपर्युक्त उद्धृत प्रावधान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 दो चरणों में कार्य करती है, पहले चरण में जब्ती का आदेश देने के लिए संबंधित न्यायाधीश या

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मजिस्ट्रेट द्वारा संतुष्टि के आधार दर्ज किए जाने की आवश्यकता होती है और ऐसी जब्ती दर्ज करने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446(1) द्वारा परिकल्पित दो चरणों को पूरा करने पर ही वसूली का आदेश जारी किया जा सकता है। इस संबंध में, **गुलाम मेहदी बनाम राजस्थान राज्य 1** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 514 के तहत समान प्रावधानों से निराकरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि इससे पहले कि कोई जमानतदार जब्त बांड की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो, उसे यह नोटिस देना आवश्यक है कि राशि का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए और यदि वह पर्याप्त कारण बताने में विफल रहता है, तभी न्यायालय धन की वसूली के लिए आगे बढ़ सकता है।

8. वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि अपीलकर्ता को दिनांक 07.09.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और सुनवाई की अगली तिथि 09.11.2021 तय की गई थी, लेकिन नोटिस की तामील के बाद भी, अपीलकर्ता दिनांक 09.11.2021 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और दिनांक 09.11.2021 के आदेश के तहत, अपीलकर्ता के विरुद्ध उसकी चल संपत्तियों की कुर्की के लिए कुर्की वारंट जारी किया गया।चूंकि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय के लिए उपलब्ध मार्ग अपीलकर्ता के विरुद्ध जुर्माना (यदि कोई हो) का आदेश पारित करना था, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा और सीधे उक्त राशि की वसूली के लिए निर्देश दिया, जो कि दं. प्र. सं. की धारा 446(1) में निहित प्रावधानों के विपरीत है, जैसे कि अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन जुर्माना का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और सीधे, आक्षेपित आदेश द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया है, जो कि अपने आप में अवैध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 09.11.2021 तथा तदानुसार 19.04.2022 के आदेश अपास्त किया जाता हैं। यद्यपि, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।

10. तदनुसार, इस दाण्डिक अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकृति दी जाती है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur